न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोण्डा।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्याः 1385/2026

CNR No.- UPGD010039472026

विशाल, पुत्र ननकू, निवासी–ग्राम महादेवा, पोस्ट केशवपुर पहड़वा, मौजा केशवपुर, पहड़वा, थाना–कोतवाली नगर, जनपद–गोण्डा।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश।

.....अभियोजन।

दिनांक–08.06.2026

1. यह प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **विशाल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–437/2026, अन्तर्गत धारा 308(5), 126(2) बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त वर्तमान मामले में न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

3. वादी मुकदमा राज कश्यप द्वारा दिनांक 17.05.2026 को समय 14:54 बजे थाना कोतवाली नगर, गोण्डा में दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभिकथित है कि वह दिनांक 16.05.2026 को ड्यूटी से छूटकर रात्रि लगभग 8:30 बजे बालाजी मंदिर केशवपुर पहड़वा जा रहा था कि रास्ते में तीन अज्ञात लोगों ने उसे रोक कर उससे पांच हजार रूपये गूगल पे करा लिया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर लगाए गए समस्त आरोप मिथ्या है, जो मनगढंत कपोलकल्पित तथ्यों पर आधारित है। वादी ने तहरीर व अपने बयान में यह नहीं बताया है कि उसने वादी को किस प्रकार से डरा धमकाकर पैसे लिए। उसने न तो कोर्ठ पैसों की मांग की है और न ही किसी को डराया धमकाया है। वादी ने तहरीर में गूगल पे करने का कथन किया है, परन्तु विवेचक ने केस डायरी में ऐसा कोई साक्ष्य/रसीद नहीं प्रस्तुत किया है, जिससे इस बात की पुष्टि को सके कि वादी द्वारा उसको गूगल पे किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उसकी गिरफ्तारी दिनांक 17.05.2026 को पुलिस द्वारा घर से की गयी है, परन्तु पुलिस द्वारा फर्जी गिरफ्तारी दिखायी गयी है। वह मुकदमा उपरोक्त में नामित अन्य सह आरोपियों से न तो कभी मिला है और न ही वह उन्हें जानता पहचानता है और न ही उसका उनसे कोई वास्ता सरोकार है। वह दिनांक 17.05.2026 से निरूद्ध है। सह आरोपी श्यामू गिरी की जमानत स्वीकृत की जा चुकी है। उपरोक्त कथनों के साथ जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

5. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त पर अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को रास्ते में रोक कर, उसे मृत्यु का भय दिखाकर, गूगल पे के माध्यम से उससे पांच हजार रूपये की वसूली करने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाए।

6. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित अभिलेख व केस डायरी का अवलोकन किया।

7. अभियोजन प्रपत्रों के परिशीलन से ज्ञात है कि आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। दौरान विवेचना कथित बरामदगी के आधार पर उसे मामले से सम्बद्ध किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। कथित, घटना, बरामदगी एवं गिरफ्तारी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है। मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। सम्बन्धित थाने की आख्या में आवेदक/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। प्रकरण मजिसट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। सह अभियुक्त श्यामू गिरी का जमानत प्रार्थना पत्र, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, गोण्डा द्वारा दिनांक 01.06.2026 को स्वीकार किया जा चुका है। वर्तमान अभियुक्त का मामला सह अभियुक्त से गुरूत्तर प्रकृति का नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 18.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है।

8. अतः मामले के तथ्यों एवं परस्थितियों में अपराध के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त विशाल की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **विशाल** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–437/2026, अन्तर्गत धारा 308(5), 126(2) बी0एन0एस0, थाना–कोतवाली नगर, जिला–गोण्डा के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1385/2026 **स्वीकार** किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा समान धनराशि की एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर दाखिल किये जाने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

आवेदक/अभियुक्त इस आशय का अण्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करे कि–

1– अभियुक्त विवेचना/विचारण के दौरान मामले से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण धमकी या बचन नहीं देगा और साक्ष्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा।

2– अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा तथा विचारण में प्रत्येक तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

3– अभियुक्त द्वारा कोई भी स्थगन साक्ष्य की अवस्था पर प्रस्तुत नहीं किया जायेगा, जबकि गवाह उपस्थित हों और आवेदक आरोप विरचित किये जाने के समय, बयान के समय, 351 भा0ना0सु0सं0 के बयान के समय और मामले की कार्यवाही प्रारम्भ होने के समय उपस्थित रहेगा।

ऐसा करने में यदि उसके द्वारा कोई अनियमितता बरती जाती है, तो सम्बन्धित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह जमानत शर्तों का दुरूपयोग मानते हुए उसकी जमानत निरस्त कर दे और विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाए।

(सूर्य प्रकाश सिंह)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
गोण्डा।

दिनांक–08.06.2026